फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रेमलाल **विपक्षी : श्री लालु**

किस्म मुकदमा – 151 जा.दी. **पत्रावली संख्या : 120/22**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 02.11.2022 पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा की पत्रावली संख्या 115/19 प्रा. पत्र का स्थगन होने से तहसीलदार मावली द्वारा विक्रय पत्र पंजीयन नहीं किया जा रहा हैं। अतः जमाबन्दी से विपक्षी सं. 1 के अलावा अन्य सहखातेदारों के हिस्से तक स्थगन का अंकन हटाने का निवेदन किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली सं. 115/19 के अवलोकन से प्रकरण में दिनांक 27.12.2019 से मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की आराजी नम्बर 1252, 1253 किता 2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 1377, 1383 किता 2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 1347 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 664, 667, 818, 819 किता 4 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 813, 820, 821, 824, 826 किता 5 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2 से 12, 25 से 35, 37, 38, 148, 151 किता 26 रकबा 250 बीघा 8 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 आगामी पेशी दिनांक 09.01.2020 तक वादग्रस्त आराजीयात के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जिसमें विपक्षी सं. 1 लालु मुतबन्ना मोती जाट को वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर प्रकरण सं. 115/19 अनवान प्रेमलाल बनाम लालु में आदेशिका दिनांक 27.12.2019 से मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की आराजी नम्बर 1252, 1253 किता 2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 1377, 1383 किता 2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 1347 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 664, 667, 818, 819 किता 4 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 813, 820, 821, 824, 826 किता 5 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2 से 12, 25 से 35, 37, 38, 148, 151 किता 26 रकबा 250 बीघा 8 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 आगामी पेशी दिनांक 09.01.2020 तक वादग्रस्त आराजीयात के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है विपक्षी सं. 1 लालु मुतबन्ना मोती जाट को वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ हैं। अन्य सहखातेदार उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं होने से उक्त स्थगन से अन्य सहखातेदार प्रभावित नहीं हैं। अतः तहसीलदार मावली को अन्य सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हटाये जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली संख्या 115/19 के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2022.11.23 10:36:04 IST Reason: SelfAttested	